न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/33/2016

उनवान

1. कैलाश चन्द्र आत्मज नाथू गुर्जर निवासी दोवनी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. नारायण आत्मज उदा गुर्जर निवासी दोवनी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 143/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.1.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री शौभाग मल कुमावत, प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 23.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जो बाद विचारण निर्णय दिनांक 29.10.2015 वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी एकतरफा कार्यवाही के स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 5.1.2016 द्वारा निरस्त किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि जहॉ एकपक्षीय आदेश एवं डिक्री को अपास्त कराने हेतु आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के तहत प्रस्तुत किया जाता है। वहॉ उक्त आवेदन पर साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना कानूनन आवश्यक है। जहॉ तक तामील का प्रश्न विवादित ठहराया जाता है, ऐसे प्रकरण में साक्ष्य लिया जाना अत्यावश्यक है। न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी 1997 (यू0सी0) पेज 392 में भी यही मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है। अपीलाधीन प्रकरण में साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना अत्यावश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी/प्रतिवादी प्रार्थी की तामील हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.6.2015 को लोक अदालत ग्राम जीवा का खेडा में आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया था। उक्त सम्मन

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रतिवादी / प्रार्थी / अपीलार्थी को कभी भी प्राप्त नहीं हुआ । उक्त जारी सुदा सम्मन किसी लाला गुर्जर नामक व्यक्ति द्वारा लिया गया है। तामील हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 5 में स्पष्ट प्रावधान विहित किये गये हैं कि प्रथमतः तामील व्यक्तिशः होगी। व्यक्तिशः तामील वाले नाम का व्यक्ति निवास नहीं करता है अथवा व्यवसाय स्थल पर नहीं मिलता है तो उसके साथ निवास करने वाले परिवार के किसी भी व्यक्ति, सदस्य पर तामील करवाई जायेगी। यदि ऐसी दोनों स्थितियॉ नहीं होती है तो न्यायालय के आदेश से दो वयस्क व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पानगी से तामील करवाई जायेगी और उक्त दोनों ही व्यक्तियों के नाम, पूर्ण पता सहित विवरण तामील कुनिन्दा सम्मन की पुश्त पर वर्णित करेगा। इसके बाद तामील अखबार, रजिस्टर्ड ए0 डी0 से भी करवाये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सुदा वाद के सम्मन की तामील लाला गुजर नामक व्यक्ति पर करवाई गई है। उक्त लाला गुजर अपीलार्थी के न तो परिवार का सदस्य है और न ही उक्त नाम का व्यक्ति पूरे गांव में ही रहता है। इस बाबत अच्छी से अच्छी शहादत गॉव का सरपंच का प्रमाण पत्र अपीलार्थी के परिवार का राशनकार्ड हो सकता है। उक्त दोनों ही प्रमाण साक्ष्य अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों ही दस्तावेज को नहीं मानने बाबत कोई न्यायिक विवेचन नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रावधानों की पालना किये ही आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न तामील जिसकी तामील लाला गुजर पर की गई थी। उक्त

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, शीलवाड़ा

नोटिस/सम्मन की पुश्त पर लाला का अपीलार्थी/प्रतिवादी से क्या रिश्ता था इस बाबत कोई अंकन तामील कुनिन्दा द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नहीं किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को दावा होने की जानकारी दिनांक 28.6.2014 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी के दौरान तैयार किये गये पर्चा मौका पर हस्ताक्षर करने से हो गई थी। इस संबंध में अपीलार्थी का निवेदन है कि पत्थरगढी का पर्चा मौका दिनांक 28.6.2014 को तैयार किया गया जबकि पारित एकपक्षीय डिक्री वाद दिनिांक 16.1.2015 को प्रस्तुत हुआ है तो किस प्रकार दावे की जानकारी हो सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने का मानस बना रखा था। अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी उसके बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मूल वाद के प्रकरण में पेशी दिनांक 30.6.2015 को तामील के बाबत कोई आदेश पारित नहीं किया गया यदि तामील होने के उपरान्त अपीलार्थी/प्रतिवादी उपस्थित होता तो उसके हस्ताक्षर करवाये जाते और यदि दिनांक 30.6.2015 को अपीलार्थी/प्रतिवादी के हस्ताक्षर फर्द अहकाम पर होते तो ही अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा सकती थी। अपीलार्थी/प्रतिवादी पर तामील कब हुई इस बाबत कोई जांच नहीं की गई। अतःअपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण संख्या 143/2015 प्रार्थना पत्र में पारित आदेश अपास्त

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, पीलीबंगा

फरया जाकर मूल प्रकरण संख्या 1/2015 रा0वाद में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाई जाकर अपीलार्थी/वादी को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनःनिर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जावे। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी 1997 (यू0सी0) पेज 392, आर आर टी 2019 (2) पेज 1461 की ओर ध्यान आकर्षित किया ।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को पत्थरगढी के पर्चा मौका बनाते समय उसकी उपस्थिति थी। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी/प्रतिवादी को जानकारी थीं कि उसके विरूद्ध दावा पेश होना है।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 1/2015 नारायण पिता उदा जाति गुजर निवासी दोवनी बनाम कैलाश चन्द्र पिता नाथू गुर्जर निवासी दोवनी वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय दिनांक 29.10.2015 को वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश होकर स्वीकार किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। उक्त निर्णय की पालना में प्रतिवादी का कब्जा वादग्रस्त आराजी से हटाया जाकर वादी को दिलाये जाने बाबत निर्णय व डिक्री पारित की । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को जारी नोटिस की प्रोपर तामील अपीलार्थी/प्रतिवादी पर नहीं हो पाई थी। जिससे वह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस किसी लाला गुजर नाम के व्यक्ति को हुई। जबकि लाला गुर्जर का अपीलार्थी/प्रतिवादी का कोई रिश्ता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र जो कि अपीलार्थी कैलाश चन्द्र पुत्र नाथु गुजर निवासी दोवनी को दिनांक 30 जुन 2015 को नियत पेशी राजस्व लोक अदालत कैम्प जीवा का खेडा में उपस्थित रहने हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस की पुश्त पर लाला गुजर की अंगूठा निशानी की गई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी की तामील मानी जाकर दिनांक 30.6.2015 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में फर्द अहकाम में अंकित किया गया " विपक्षी को जारी नोटिस बाद तामील शामिल मिसल किया गया । विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित । " आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.7.2015 नियत की गई। दिनांक 8.7.2015 की आदेशिका में प्रतिवादी/विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय दिनांक 29.10.2015 को पारित किया गया ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी के साथ संलग्न दस्तावेज जिसमें अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड की फोटो प्रति जिसमें कैलाश चन्द्र पिता नाथू लाल के नाम जारी राशनकार्ड में कुल सदस्यों की संख्या 5 दर्शायी गई है। जिसमें लालाराम नाम के किसी सदस्य का अंकन नहीं है। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न प्रमाण पत्र जो कि ग्राम पंचायत जीवा का खेडा पंचायत समिति कोटडी द्वारा जारी किया गया है। उसमे अंकित किया गया है कि " ग्राम दोवनी ग्राम पंचायत जीवा खेडा के ग्राम दोवनी में लाला गुर्जर नाम का कोई भी व्यक्ति

(कैलाश चन्द्र ...)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निवास नहीं करता है। उक्त प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत जीवा का खेडा द्वारा दिनांक 8.12.2015 को जारी किया गया है। उक्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी खारिज किया गया है जिसे उचित नहीं माना जा सकता है।

12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 1/2015 में जारी सम्मन की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा कोई रिपोर्ट अंकित नहीं की गई है। तथा जिस लाला गुजर पर तामील कराई गई है। उसका प्रतिवादी/अपीलार्थी के साथ क्या रिश्ता रहा है इसका कोई अंकन नहीं किया गया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी पर तामील मानकर प्रकरण संख्या 1/2015 में निर्णय पारित कर वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।

13. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण न्यायिक उद्धरण डब्ल्यू एल सी 1997 (यू0सी0) पेज 392, में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा एस बी सिविल मिस0 अपील नम्बर 7/96 राजेन्द्र कुमार बनाम डा0 रामजी लाल में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि " सिविल प्रकिया संहिता , आदेश 9 नियम 13 नियम 1 (घ) एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के प्रार्थना पत्र की खारिजी के आदेश के विरूद्ध अपील–प्रश्नगत आदेश पक्षकारों की साक्ष्य लिये बिना ही पारित किया गया । साक्ष्य अभिलेख के पश्चात प्रार्थना पत्र के लिए निर्णय के लिए मामला प्रतिप्रेषित । न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2019 (2) पेज 1461 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल की डबल बैंच में पारित निर्णय में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि " 9 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना

(कैलाश चन्द्र द्वारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

पत्र निर्णित करते समय उदा दृष्टिकोण लेन चाहिये–निर्णीत निर्णय अपास्त किये तथा आदेश 9 नियम 13 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र को पुनः निर्णित करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया ।

14. अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों में प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल वाद संख्या 1/2015 में सुनवाई हेतु निवेदन किया है। जबकि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी पी सी पर पारित निर्णय दिनांक 5.1.2016 के विरूद्ध की गई है। अपीलार्थी द्वारा जो न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं उसमें प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसरण में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.1.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर अज सिरे नो निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

15. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 5.1.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी/प्रार्थी को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25/1/2020 को उपस्थित रहें।

16. निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश चन्द्र ...)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा